कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर (राज0)

क्रमांकःसंस्था/अराज /यूटीबी /2023/10201 दिनांकः— 28.9.2023

नर्सिंग अधिकारी — जीएनएम , महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता—एएनएम, सहायक रेडियोग्राफर , फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन (यूटीबी) भर्ती—2023 में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक सूचना

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,बाड़मेर की विज्ञप्ति क्रमाकःसंस्था/यूटीबी/2023/8836 दिनांक 28.7.2023 एवं विज्ञप्ति क्रमांकः 9248 दिनांक 14.8.2023 के क्रम में नर्सिंग अधिकारी (जीएनएम) , महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम), सहायक रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन संवर्ग के स्पष्ट रिक्त पदों को यूटीबी के आधार पर भरे जाने के संबंध में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि नर्सिंग अधिकारी (जीएनएम), महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम), सहायक रेडियोग्राफर , फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन यूटीबी के पद हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा गुगल लिंक में ऑनलाईन आवेदन में अंकित डेटा / प्रविष्टियों के आधार पर आवेदक **की श्रेणी व वर्गवार मेरिट अनुसार लगभग 3.00 गुणा आवेदकों का दस्तावेज सत्यापन कार्य दिनांक 29.09.2023 से 02.10.2023 तक प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक निम्न कार्यक्रमानुसार किया जायेगा** ।

दिनांक	समय	पदवार दस्तावेज सत्यापन
29.9.2023 से 30.9.2023	प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक	नर्सिंग अधिकारी (जीएनएम) व सहायक रेडियोग्राफर
1.10.2023	प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम)
2.10.2023	प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक	लैब टैक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं दस्तावेज सत्यापन वंचित अभ्यार्थी

अतः आमन्त्रित आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय अनुसार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (जिला स्वास्थ्य भवन) , बाड़मेर में व्यक्तिगत रूप से गुगल लिंक में आनलाईन प्रविष्टि डाटा के संबंध में आवेदित ऑनलाईन फार्म , सलंग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर मय समस्त दस्तावेजो की स्वः सत्यापित फोटो प्रति तथा मिलान हेतु समस्त संबंधित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये व्यावसायिक व शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांको का 70 प्रतिशत एवं बोनस अंक (यदि लागू हो), के आधार पर श्रेणी व वर्गवार वरियतानुसार सूची बनाकर आमंत्रित किया जा रहा है जिसका सत्यापन अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेजो से किया जाकर प्रोविजनल मेरिट तैयार की जायेगी । अतः दस्तावेज सत्यापन हेतु वास्तविक कट ऑफ जारी नही की जा सकती है। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने का तात्पर्य आवेदक की पात्रता की जॉच करने मात्र से है एवं यह किसी भी रूप में मेरिट में चयन किया जाना नही है। और न ही यह नियुक्ति पत्र है। आवेदकों की मेरिट सूची व कट ऑफ दस्तावेज सत्यापन के परिणाम पर निर्भर होगी ।

विशेष योग्यजन के अभ्यर्थी कार्यक्रम अनुसार दस्तावेज सत्यापन की दिनांक को प्रथमतः प्रातः अधीक्षक राजकीय चिकित्सालय बाड़मेंर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपनी उपस्थिति देंगे , मेडिकल बोर्ड से जॉच उपरान्त ही कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें । मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित न होकर सीधी ही दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन नही किया जायेगा ।

दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को पुनः अवसर नही दिया जायेगा तथा इनकी पात्रता स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी । ई—मेल, डाक या अन्य किसी माध्यम से भिजवाये गये दस्तावेज मान्य नही होंगे । कार्यक्रम अनुसार आमंत्रित आवेदको की सूची तथा इस संबंध में दिशा निर्देशों एवं आवश्यक दस्तावेजो की सूची अवलोकन हेतु जिला प्रशासन बाड़मेर की वैबसाईट पर उपलब्ध है।

सलंग्न :— सूची पदवार

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांकःसंस्था/अराज /यूटीबी /2023/10202 दिनांकः— 28.9.2023

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. श्रीमान जिला कलक्टर, बाड़मेर
2. श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर
3. श्रीमान संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग, बाड़मेर को प्रेषित कर निवेदन है,कि उक्त सूचना को जिला प्रशासन की वैबसाईट पर अपलोड करावे ।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
बाड़मेर

दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी संबंधित मूल दस्तावेजो एवं मूल दस्तावेजो की स्वयं के द्वारा सत्यापित फोटो प्रति का क्रम इस प्रकार रखे :–

1. ऑनलाईन आवेदित पत्र का प्रिन्ट आउट
2. आधार कार्ड
3. सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका / प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
5. मूल निवास प्रमाण पत्र / विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र
6. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
7. जीवित संतानो के जन्म प्रमाण पत्र (यदि लागू हों)
8. उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी होने संबंधी प्रमाण पत्र
9. व्यावसायिक योग्यता परीक्षा उर्तीण अंकतालिकाएं ।
10. राजस्थान नर्सिंग कौसिंल में अद्यतन वैध पंजीयन प्रमाण पत्र
11. अनुभव प्रमाण पत्र

उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान अन्तर्गत राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होने :–

1. इंण्डियन ओपलंम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशन स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ।
2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ।

या

3. इंण्डियन ओलम्पकि एसोसिएशन एवं संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ।
4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हों ।

उपरोक्त से संबंधित प्रमाण पत्र संबंधित फेडरेशन से सत्यापन के अध्ययधीन मान्य होंगें ।

विशेष योग्यजन /दिव्यांग्ता के संबंध में निर्देश

1. विशेष योग्यजन को 4 प्रतिशत आरक्षण दण्डवत रूप से देय होगा । अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जायेगा । विशेष योग्यजन आवेदकों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 7 जनवरी 2021 में वर्णित पद विशेष (लेडी हैल्थ विजिटर के समरूप) के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर ही उसकी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा । पद विशेष (लेडी हैल्थ विजिटर के समरूप) के कार्य के लिये निर्धारित दिव्यागता श्रेणी वाले पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर अपनी ही श्रेणी में सामान्य आवेदक की तरह पात्र होगा । विशेष योग्यजन आवेदकों को अधीक्षक राजकीय मेडिकल कॉलेज, बाड़मेर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा । विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय/प्रमाण पत्र के आधार पर ही विशेष योग्यजन आवेदकों की दिव्यांग्ता का निर्धारण किया जाकर आरक्षण का लाभ/पात्रता का अन्तिम रूप से निर्धारण किया जायेगा ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांकः संस्था/अराज/युटीबी/2023/10203 दिनांक :–28/9/2023

प्रेस–नोट

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर डा. चन्द्रशेखर गजराज ने बताया कि यूटीबी आधार पर एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एंव सहायक रेडियोग्राफर के पदों पर यूटीबी 2023 भर्ती में आवेदित अभ्यार्थियों का चयन करने हेतु आवेदित अभ्यार्थियो में से श्रेणीवार तीन गुणा का ऑनलाईन प्रार्थना पत्र में अंकित प्रविष्टियो का मूल दस्तावेजो से सत्यापन हेतु सात दलो का गठन कर निम्नानुसार सत्यापन कार्यक्रम निर्धारण किया गया है । तीन गुणा अभ्याार्थियो की सूची जिला प्रशासन बाड़मेर **(www.barmer.rajasthan.gov.in)** की वेबसाईट पर अपलोड कर दी गयी है ।

दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम (स्थान : स्वास्थ्य भवन, बाड़मेर)

दिनांक	समय	पदवार दस्तावेज सत्यापन
29.09.2023 व 30.9.2023	प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक	जीएनएम व सहायक रेडियोग्रफर
01.10.2023	प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक	एएनएम
02.10.2023	प्रातः 10.00 से सांय 5.00 बजे तक	लैब टेक्नीशियन , फार्मासिस्ट एवं दस्तावेज से वंचित अभ्यार्थी

(डॉ चन्द्रशेखर गजराज)
मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांकः संस्था/अराज/युटीबी/2023/10204-10205 दिनांक :– 28/9/2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर
2. जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी बाड़मेर को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रेस–नोट को समाचार पत्रो में प्रकाशित कराने का श्रम करावे ।

मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी
बाड़मेर